न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

अपील सं0 2020/00007 (07/2020)

1. दयाराम पुत्र गणपत जाति जाट साकिन ब्राम्हणवासी त0 नोहर जिला हनुमानगढ (राज.)
2. समित्रादेवी पत्नी सोहनलाल जाति जाट साकिन ब्राम्हणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राज.)
3. विनोद कुमार पुत्र सोहनलाल जाति जाट साकिन ब्राम्हणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राज.)
4. राजकुमार पुत्र सोहनलाल जाति जाट साकिन ब्राम्हणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राज.)

– अपीलान्ट

बनाम

1. अमीचन्द पुत्र सहीराम जाति भाट साकिन ब्राम्हणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राज.)
2. सुलतान पुत्र सहीराम जाति भाट साकिन ब्राम्हणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राज.)
3. जगदीश पुत्र सहीराम जाति भाट साकिन ब्राम्हणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राज.)
4. खजान पुत्र मोहन जाति भाट साकिन ब्राम्हणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राज.)
5. छिन्द्र पुत्र मोहन जाति भाट साकिन ब्राम्हणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ(राज.)
6. दर्शन पुत्र मोहन जाति भाट साकिन ब्राम्हणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ(राज.)
7. कलावती पत्नी ज्ञानीराम जाति भाट साकिन ब्राम्हणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ(राज.)
8. राकेश पुत्र ज्ञानीराम जाति भाट साकिन ब्राहम्णवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. राधेश्याम पुत्र ज्ञानीराम जाति भाट साकिन ब्राम्हणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ(राज.)
10. सुमन पुत्री ज्ञानीराम जाति भाट साकिन ब्राम्हणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ(राज.)
11. हनुमान पुत्र मुन्शीराम जाति भाट साकिन ब्राम्हणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ(राज.)
12. पारी पुत्री मुन्शीराम जाति भाट साकिन ब्राम्हणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ(राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.08.04 11:09:40 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

13. मनीराम पुत्री मुन्शीराम जाति भाट साकिन ब्राम्हणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ(राज.)

14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

– असल रेस्पोडेण्ट्स

15. चैनाराम पुत्र शंकरू जाति भाट साकिन ब्राम्हणवासी तह0 नोहर जिला हनुमानगढ(राज.)

16. मखन पुत्र शंकरू जाति भाट साकिन ब्राम्हणवासी तह0 नोहर जिला हनुमानगढ(राज.)

17. समा पुत्र शंकरू जाति भाट साकिन ब्राम्हणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ(राज.)

18. लाल पुत्र शंकरू जाति भाट साकिन ब्राम्हणवासी तह0 नोहर जिला हनुमानगढ(राज.)

19. रामप्यारी पत्नी शंकरू जाति भाट साकिन ब्राम्हणवासी तह0 नोहर जिला हनुमानगढ

20. जेती पुत्री शंकरू जाति भाट साकिन ब्राम्हणवासी तह0 नोहर जिला हनुमानगढ(राज.)

21. चावली पुत्री शंकरू जाति भाट साकिन ब्राम्हणवासी त0 नोहर जिला हनुमानगढ (राज.)

–असल रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.04.1978 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, नोहर, प्रकरण संख्या 57/1978 बअनवानी सहीराम बनाम चैनाराम आदि

श्री हवासिंह पूनिया अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से ।

श्री राजेश कौशिक राजकीय अधिवक्ता स्पोडेन्ट सं0 14 की ओर से

राजस्व अपील अधिकारी ★ हनुमानगढ़ (राज.) ★

निर्णय दिनांक – 31.03.2021

इस प्रकरण में तथ्य में इस प्रकार हैं कि सहीराम आदि वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं 188 आरटीएक्ट में वाद पेश किया। वादपत्र में रोही मोजा ब्राहम्णवासी तहसील नोहर के खसरा नं. 22 की 38.05 बीघा भूमि अपने पिता मुन्शीराम की खातेदारी होने का कथन किया साथ ही कथन किया कि उपरोक्त आराजी हाल ख0 नं0 72 की 5 बीघा 71 की 19.18 बीघा, 57 की 13.09 बीघा में परिवर्तित हो गई लेकिन पैमाईस की जमाबन्दी में हाल ख0 नं0 75 की 5 बीघा तो वादीगण के नाम सही दर्ज कर दी मगर हाल ख0 नं0 71 की 19.018 बीघा प्रतिवादी नं0 1 ता 7 के नाम एवं 57 की 13.09 बीघा प्रतिवादी नं0 8 ता 9 के पिता गणपतराम के नाम दर्ज कर दी। [illegible] वादपत्र में वर्णितानुसार भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करने, प्रतिवादी के [illegible] गणपत का नाम हटाने एवं उनके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष [illegible]। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद वादी स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.08.04 11:09:40 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

2. अपीलाण्ट के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। शेष रेस्पोडेण्ट की तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया। अपीलाण्ट के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों की तलबी करवाये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं कथनों पर कोई साक्ष्य नहीं ली गई प्रतिवादीगण को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। प्रश्नगत भूमि रोही मोजा ब्राहम्णवासी तहसील नोहर के ख0 नं. 57 की 18.014 बीघा भूमि सिवाय चक काबिल काश्त भूमि थी जो गणपत पुत्र आशा कौम जाट को आवंटन हुई थी जिसके आधार पर इन्तकाल नं0 5 दिनांक 10.12.1976 को तस्दीक किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को ज्ञान नहीं था ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। डिले कन्डोन की जावे। अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किये जावें।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

5. अपीलाण्ट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय में सहीराम आदि वादीगण ने अधिकारों की घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया था जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.04.1978 को डिक्री किया गया है। अपीलाण्ट ने यह अपील 07.01.2020 को प्रस्तुत की है जो लगभग 42 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की है। इतनी लम्बी अवधि बाद अपील प्रस्तुत करने का कोई समुचित एवं संतोषजनक कारण नहीं बताया है। लिहाजा अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र एवं अपील खारिज किये जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.08.04 11:09:40 IST
Reason: SelfAttested

31.3.21
(करतारसिंह पूनीयां)
आर.ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner